भामाब/वित्त/मुख्यालय/प्रपत्र(07)/2023

भारतीय मानक ब्यूरो
वित्त विभाग

विषय: वर्ष 2023-24 के लिए आय कर परिकलन के प्रयोजन के लिए विवरण

यह परिपत्र हमारे परिपत्र संख्या BIS/FIN/HQ/CIRCULAR (05)/2023 दिनांक 28.07.2023 के संदर्भ में है जिसके माध्यम से भा मा ब्यूरो के सभी कर्मचारियों/पेंशनर्स को 16 अगस्त 2023 तक निर्धारित प्रोफार्मा (F 48 सेवारत कर्मचारियों के लिए और F 48A पेंशनभोगी के लिए) में अपनी बचत के ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध दिया गया था ।

इस संबंध में यह अवगत कराया जाता है कि प्रपत्र 16 को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों द्वारा देखने के लिए online कर दिया गया है | अत: यह निर्णय लिया जाता है कि जिन कर्मचारियों/ पेंशनर्स ने अभी तक बचत का प्रमाण पत्र वित्त विभाग को जमा नहीं कराया है, उन्हें एक अवसर और दिया जा रहा है कि वे सभी बचत के प्रमाण पत्र या तो ईमेल के माध्यम से या फिर हार्ड कॉपी के माध्यम से **15.12.2023** तक जमा करा सकते हैं, अन्यथा उन बचत विवरणों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और आय कर की पुन: गणना की जाएगी और तदनुसार **दिसंबर 2023/जनवरी/फरवरी 2024** के वेतन से आय कर की कटौती की जायेगी ।

हस्ता
(गुरप्रीत सिंह)
निदेशक (वित्त)

हमारा संदर्भ: वित्त/2.37/आय कर/2023-24
दिनांक : 06.12.2023

इंट्रानेट के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो के सभी अधिकारीगण/ कर्मचारीगण/ पेंशनर्स को सूचनार्थ एंवम अनुपालन हेतु परिचालित

सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग - भारतीय मानक ब्यूरो के इंट्रानेट पर रखने के लिए

BIS/FIN/HQ/Circular(07)2023

BUREAU OF INDIAN STANDARDS
(FINANCE DEPARTMENT)

SUBJECT: PARTICULARS FOR THE PURPOSE OF INCOME TAX CALCULATION FOR THE FINANCIAL YEAR 2023-24

This has reference to our circular Number BIS/FIN/HQ/CIRCULAR (05)/2023 dated 28.07.2023 vide which all employees/pensioners of BIS, were requested to furnish the particulars of their savings in the prescribed Proforma (Form 48 for serving employees and Form 48A for pensioners) by 16th August 2023.

In this regard, it is stated that the form 16 has been made live for viewing by the employees/pensioners. It has now been decided to give the opportunity to all the employees who have not yet submitted the proof of their savings, can submit the same by **15.12.2023** either through email or by hard copy to Finance Department, failing which the exemption of tax savings will not be taken into account and the income tax shall be re-calculated and accordingly deducted from the salary of **December 2023/January/February 2024**.

SD/-
(Gurpreet Singh)
Director (Finance)

Our Ref**:** FIN/2.37**/**Income Tax**/**2023-24
दिनांक **:** 06.12.2023

Circulated through BIS Intranet to all Officers/Staff/Pensioners of BIS – for information and compliance

Copy to: ITSD - for uploading on BIS Intranet